HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8430/2025

Lajjawati W/o Nootan, Aged About 55 Years, R/o Jhalatala, Police Station Haleina, District Bharatpur (Raj.).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10867/2025

1. Rekha W/o Banwari, R/o Jhalatala, Police Station Haleina, District Bharatpur (Raj.).
2. Galli W/o Neeraj, R/o Jhalatala, Police Station Haleina, District Bharatpur (Raj.).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kapil Nagayach
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Punia, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/09/2025

प्रार्थीगण–अभियुक्तागण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना–हलैना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 89/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 351(2), (3), 333, 110 बी.एन.एस. में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह दो पृथक–पृथक प्रार्थना–पत्र पेश किए गये हैं।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण–अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तागण को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। तीनों अभियुक्तागण महिलाऐं हैं। उनका तर्क है कि प्रकरण की परिवादिया रजनी व तीनों प्रार्थीगण एक ही परिवार की सदस्या हैं। आहता रजनी के सिर पर चोट कारित करने का आक्षेप वर्तमान

प्रार्थीगण पर नहीं है, बल्कि अन्य अभियुक्तगण नीरज व बनवारी पर है। अन्य आहता कोमल के शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना प्रतिवेदित हुआ है। प्रार्थीगण–अभियुक्तागण पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। वे अनुसंधान में भाग लेकर जांच में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। अतः उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तागण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 351(2), (3), 333, 110 बी.एन.एस. का अभियोग है। इस मामले में हुई मारपीट की घटना में आहता रजनी के सिर पर पैराईटल रीजन व टेम्पोपैराईटल रीजन पर चोट कारित हुई है। चोट प्रतिवेदन के अनुसार आहता रजनी के दो सिले हुए घाव सहित कुल 6 चोटें व आहता कोमल के 4 चोटें आना प्रकट हुआ है। गंभीर अपराध है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं दी जाये।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार परिवादिया रजनी व अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्यगण है। आहतगण के शरीर पर आई चोटें उनके चोट प्रतिवेदन में साधारण प्रकृति की होना प्रतिवेदित हुई है। प्रार्थीगण–अभियुक्तागण महिलाऐं हैं। आहता रजनी के सिर पर जो चोट कारित हुई हैं, वह चोट वर्तमान प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा कारित किया जाना नहीं बताया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तागण अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तत्पर है। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तागण की ओर से प्रस्तुत यह दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तागण की ओर से प्रस्तुत यह दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं तथा सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके यहॉ पंजीबद्ध उक्त मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तागण को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रत्येक प्रार्थीगण/अभियुक्तागण उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थीगण/अभियुक्तागण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगे,
2. कि प्रार्थीगण/अभियुक्तागण इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।

3. कि प्रार्थीगण/अभियुक्तागण बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोडेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /49-50